

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 919] No. 919] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

# वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

का.आ. 1031(अ).—यत:, मै. इन्फोसिस लिमिटेड, ने कर्नाटक राज्य के, इलक्ट्रॉनिक सिटी, डोड्डा थोगुर गाँव, बेगुर होबली, बैंगलोर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है:

और यत:, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 13 जून, 2016 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अत:, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उपर्युक्त स्थान के **4.063** हेक्टेयर के नीचे दी गई तालिका में दिए गए खसरा नंबर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसुचित करती है, अर्थात:-

### तालिका

क्रं. स.	गाँव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	डोड्डा थोगुर	64	0.11
2.		65	1.97
3.		157	0.55
4.		158	0.41
5.		161	1.02
		कुल	4.063

1850 GI/2017 (1)

और अत: विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात:-

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका	सदस्य, पदेन
	नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	
3.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	सदस्य, पदेन
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त	सदस्य, पदेन
	अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा  उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
6.	निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिग प्रभाग, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
8.	जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि	विशेष, आंमत्रिती

और अत: विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 31 मार्च, 2017 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/16/2016—एसईजेड] आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

# (Department of Commerce)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2017

**S.O. 1031(E).**—Whereas, M/s. Infosys Limited has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a Sector Specific Special Economic Zone for IT/ITES at Electronic City, Doddathogur Village, Begur Hobli, Bangalore, in the State of Karnataka;

And, whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 13th June 2016;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the **4.063** hectares area at above location with survey numbers given in the table below as a Special Economic Zone, namely:

**TABLE** 

S. No.	Name of Village	Survey No.	Area (in hectares)
1.	Doddathogur Village	64	0.11
2.		65	1.97
3.		157	0.55
4.		158	0.41
5.		161	1.02
		Total	4.063

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:-

1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	Chairperson ex officio;
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	Member ex officio;
3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone	Member ex officio;
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member ex officio;
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member ex officio;
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	Member ex officio;
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government	Member ex officio;
8.	Representative of the Developer of the zone	Special invitee

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 31st day of March, 2017 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 1/16/2016-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.